

:: मूल वाद में डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-18/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री अनुकूल पिता पुरुषोत्तम मालान, उम्र बालिग निवासी 22/75 रोड़ नम्बर 75, पंजाब
गली वेस्ट दिल्ली जरिये मुख्तयार आम मदन जाखड पिता झाबरराम जाखड(जाट)
बापूनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---वादी

वनाम

- 1-श्री घीसा पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री किशोर पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मांगीलाल सैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से
2 की ओर से श्री एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 7.05.
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि
और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा
राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार
किया जाकर डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के इस आशय की जारी
की जाती है कि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में
स्थित निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य विभाजन अनुसार
राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन के
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जायें।

1-श्री अनुकूल पिता पुरुषोत्तम मालान, उम्र बालिग निवासी 22/75 रोड़ नम्बर 75, पंजाब
गली वेस्ट दिल्ली जरिये मुख्तयार आम मदन जाखड पिता झाबरराम जाखड(जाट)
बापूनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम हक व हिस्से
अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जायें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
412/2	1 बीघा 01.07 बिस्वा	-
413/2	- 06.00 बिस्वा	-
420/1	- 06.00 बिस्वा	-
कुल कित्ता 3 रकबा	1 बीघा 13.07 बिस्वा	लगान -

81
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

2-श्री घीसा पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
412/1	- 18.07 बिस्वा	-
413/1	- 15.00 बिस्वा	-
कुल किता 2 रकबा 1 बीघा	13.07 बिस्वा	लगान -

3-श्री किशोर पिता धूकल जाट, उम्र बालिग निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
412/3	- 16.06 बिस्वा	-
420/2	- 17.00 बिस्वा	-
कुल किता 2 लगान 1 बीघा	13.06 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 20.05.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा